

सं. 1/18/01-पी एंड पीडब्ल्यू (ई) (खंड 1।)

भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
5 नवंबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के तहत कुटुंब पेंशन के उद्देश्य हेतु निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्साधिकारी/बोर्ड।

इस विभाग के दिनांक 30 सितंबर, 2014 के उपर्युक्त विषयक समसंख्यक ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह अवगत कराया गया था कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कुटुंब पेंशन के उद्देश्य हेतु निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 के अनुसरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.6.2010 की अधिसूचना संख्या एस.13020/1/2010 में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा। यह भी अवगत कराया गया था कि पूर्व के मामलों के संबंध में दिनांक 18.06.2010 के दिशा-निर्देशों या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 (6) के अनुसरण में जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 की धारा 2 (पी) के अनुसार, "चिकित्सा प्राधिकारी", समुचित सरकार की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किसी अस्पताल या संस्था से अभिप्रेत है। इसके अनुसरण में राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जाना है।

4. पूर्व के मामलों सहित, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्राधिकारियों के अतिरिक्त, निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सरकार की अधिसूचना द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट कोई अस्पताल या संस्था होगी।



(डी.के. सोलंकी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/पेंशनभोगी संघ
2. महालेखा नियंत्रक, लोकनायक भवन, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक का कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
4. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-11, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।